कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
सामान्य वर्ग

पत्र प्राप्ति A दि0 18/03/2020
डायरी सं0 90 कम्प्यूटराईजेशन खण्ड
दिनांक 18/03/2020

पत्रांक : 3073 एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 54एम0–46 / 98 दिनांक : 6 /03/ 2020

कार्यालय–ज्ञाप

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2016 में सम्पादित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0–4 के प्रस्तर–7.5 में उल्लेख किया गया है कि अनुबन्ध सं0–25 / एस0ई0–271यात–बस्ती वृत्त / 2011–12 दिनांक 23.12.11 (पीलीभीत बहराईच बस्ती मार्ग के किमी–416.00 से 424.2700 में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण तथा किमी–390.00 से 395.00 में चौड़ीकरण कार्य हेतु) अनुबंध सं0–24 / एस0ई0 / 253यात–बस्ती वृत्त / 10–11 दिनांक–14.03.11 (पीलीभीत बहराईच बस्ती मार्ग (एस0एच0–26)के किमी 405.00 से 415.00 में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु) एवं अनुबन्ध संख्या–14 / एस0ई0–244यात–बस्ती वृत्त / 2009–10 दिनांक 30.03.10 (पीलीभीत बहराइच बस्ती मार्ग (एस0एच0–26) के किमी 395.00 से 405.00 में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु) अनुबन्ध गठन से पूर्व आंमत्रित निविदा में मेसर्स साकेत निर्माण एफ0एफ0–7 ए0बी0सी0 काम्पलैक्स 6 क्वाटन रोड कैसरबाग लखनऊ(वर्तमान नाम–ट्राइविज इन्फ्राकान प्रा0लि0, 9सी, हिमान्शु सदन, 5 पार्क रोड़, लखनऊ) एवं मेसर्स अभ्युदय हाउसिंग एण्ड कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, श्रीराम टावर, 13ए, अशोक मार्ग, लखनऊ ने भाग लिया था। मेसर्स अभ्युदय हाउसिंग एण्ड कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 में निदेशक–श्री मनोज कुमार अग्रवाल, श्रीमती सुमन अग्रवाल, श्री अजन्त कुमार अग्रवाल एवं श्रीमती रीमा सिंधल हैं, और मेसर्स साकेत निर्माण(वर्तमान नाम–ट्राइविज इन्फ्राकान प्रा0लि0) में साझेदार श्री अजन्त कुमार अग्रवाल की पत्नी श्रीमती सुमन रानी अग्रवाल, पुत्र श्री पीयूष अग्रवाल एवं श्री राम किशोर पाण्डेय थे। वर्तमान में कम्पनी श्री पीयूश अग्रवाल एवं श्री राम किशोर पाण्डेय निदेशक है। दोनो फर्म / कम्पनी संयुक्त उद्यम में कार्य कर रही हैं। इस प्रकार मेसर्स अभ्युदय हाउसिंग एण्ड कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 ने आपसी मिलीभगत से निविदा प्राप्त कर उक्त अनुबन्ध गठित कराया है। जिसके कारण निविदा प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त नहीं हुई और राजस्व की हानि हुयी है। इस प्रकार मेसर्स अभ्युदय हाउसिंग एण्ड कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 द्वारा आपसी सांठ–गांठ कर अनियमित कार्य किया गया है।

मेसर्स अभ्युदय हाउसिंग एण्ड कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, श्रीराम टावर, 13ए, अशोक मार्ग, लखनऊ का पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक–2504एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 54एम–46 / 98, दिनांक 17.07.1998 एवं अन्तिम नवीनीकरण कार्यालय ज्ञाप सं0–10358एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 54एम–46 / 98, दिनांक 01.10.2013 द्वारा दिनांक 30.06.2016 तक के लिए मार्ग श्रेणी 'ए' में किया गया था। **जिसमें श्री मनोज अग्रवाल, श्रीमती सुमन अग्रवाल, श्री अजंत कुमार अग्रवाल एवं श्रीमती रीमा सिंधल कुल 04 निदेशक थे।**

उक्त प्रकरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2016 में सम्पादित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0–4 के प्रस्तर–7.5 के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र सं0–7185एम0टी0 / सा0 वर्ग / 54एम0–46 / 98, दिनांक–20.06.2019 द्वारा मेसर्स अभ्युदय हाउसिंग एण्ड कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, श्रीराम टावर, 13ए, अशोक मार्ग, लखनऊ को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, जिसका प्रतिउत्तर कम्पनी के पत्र दिनांक–18.07.2019 द्वारा दिया गया, जिसका परीक्षण कर मुख्य अभियन्ता, बस्ती क्षेत्र, लो0नि0वि0 बस्ती के पत्रांक–432 / 117–वा0क्षे0 / 18, दि0–29.01.2020 द्वारा ''मेसर्स अभ्युदय हाउसिंग एण्ड कान्सट्रक्शन कम्पनी के 04 निदेशकों में से एक निदेशक श्री अजन्त कुमार अग्रवाल है जो मेसर्स साकेत निर्माण(वर्तमान नाम–ट्राइविज इन्फ्राकान प्रा0लि0) में साझेदार श्रीमती सुमन रानी अग्रवाल के पति एवं श्री पीयूष अग्रवाल के पिता हैं। और दोंनों फर्मे / कम्पनी संयुक्त उद्यम में कार्य कर रही है। इस प्रकार आपने आपसी मिली

भगत से निविदा प्राप्त कर उक्त अनुबन्ध गठित कराया है। जिसके कारण निविदा प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त नही हुई, और राजस्व की हानि हुई है, इस प्रकार सम्पेक्षा द्वारा आपसी सांठ–गांठ कर निविदा प्राप्त किये जाने के कारण उक्त कम्पनी/उसके निदेशकों को 05 वर्ष के लिए डिबार किये जाने की संस्तुति की गयी है"।

अतः शासनादेश सं0–2365/एम0एस0/23–पी0 डब्लू0–41एम0 एस0/1954, दिनांक 24.08.1982 एवं प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0–362 एम0टी0 जी0/70 एफ–68, दिनांक 08.10.1982 द्वारा निर्गत ठेकेदारों के लिए वर्गीकरण एवं पंजीकरण नियमावली एवं पंजीकरण से सम्बन्धी सुसंगत शासनादे ाों एवं शासनादे ा सं0–4127 एम0 एस0/23सा0 नि0अनु0(7), दिनांक 02.12.1974 के अन्तर्गत अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने के कारण एवं मुख्य अभियन्ता, बस्ती क्षेत्र, लो0नि0वि0 बस्ती के पत्र सं0–432/117–वा0क्षे0/18, दिनांक–29.01.2020 द्वारा की गई उपरोक्त संस्तुति के आधार पर मेसर्स अभ्युदय हाउसिंग एण्ड कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, श्रीराम टावर, 13ए, अशोक मार्ग, लखनऊ व उनके निदेशकों को लोक निर्माण विभाग के सभी कार्यो से **पांच वर्ष** के लिए **डिबार (Dibar)** किये जाने के आदेश एतदद्वारा पारित किये जाते है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

उक्त आदेश प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0), लो0नि0वि0 उ0प्र0 के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहें है।

(संतोष कुमार)
मुख्य अभियन्ता (मु0–2),
लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदे ा एवं मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक, राष्ट्रीय मार्ग, पी0एम0जी0एस0वाई0, सेतु/वाह्य सहायतित इण्डो–नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।
2. प्रबन्ध निदे ाक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदे ाक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, बस्ती क्षेत्र, लो0नि0वि0 बस्ती को उनके पत्रांक–432/117–वा0क्षे0/18, दिनांक–29.01.2020 के सन्दर्भ में।
5. निदे ाक/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. अधीक्षण अभियन्ता, बस्ती वृत्त, लो0नि0वि0, बस्ती।
9. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटराइज्ड खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ को उक्त आदेश विभागीय वेब साइट पर लोड किये जाने हेतु प्रेशित।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, बस्ती।
11. मेसर्स अभ्युदय हाउसिंग एण्ड कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, श्रीराम टावर, 13ए, अशोक मार्ग, लखनऊ।

पंजीकृत

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर(सा0),
लो0नि0वि0, लखनऊ